न्यायालय जिला कलक्टर एवं प्रथम अपीलेट अधिकारी

(सूचना अधिकार अधिनियम 2005)

पीठासीन अधिकारी मुक्तानंद अग्रवाल (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–80 / 2017 **अपील सू.प्र.**

उनवान

श्री कपिल विजयवर्गीय संवाददाता, राष्ट्रदूत, रोड़वेज बस स्टेण्ड बिजौलिया जिला भीलवाड़ा **बनाम** सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया जिला भीलवाड़ा

——अपीलार्थी ——प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) अधिनियम 2005

उपस्थित :– अपीलार्थी अनुपस्थित
प्रत्यर्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधी

निर्णय

दिनांक : 20 / 09 / 2017

अपीलार्थी की ओर से यह प्रथम अपील सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अन्तर्गत सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया के विरूद्ध दिनांक 03.08.2017 को जरिये डाक प्राप्त होकर निवेदन किया गया कि अपीलार्थी ने विहित अधिनियम की धारा 6(1) के अन्तर्गत निर्धारित शुल्क का पोस्टल ऑर्डर नं0 34 एफ 912316 राशि 10.00 रू0 के साथ एक आवेदन दिनांक 08.06.2017 को प्रस्तुत कर सहायक लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार बिजौलिया से सूचना चाही गयी थी, किन्तु निर्धारित समय सीमा व्यतीत हो जाने के उपरान्त भी वांछित सूचना उपलब्ध नहीं कराई। अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना हेतु प्रस्तुत आवेदन दिनांक 08.06.2017 की प्रति अपील मेमो के साथ प्रस्तुत की गई।

प्रस्तुत अपील इस कार्यालय में दिनांक 01 / 09 / 2017 को पंजीबद्ध किया जाकर अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी् को दिनांक 12.09.2017 की पेशी का सूचना पत्र जारी किया गया। नियत दिनांक 12.09.2017 को अपीलार्थी बावजूद सूचना उपस्थित नहीं हुआ एवं प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया। दिनांक 12.09.2017 को पीठासीन अधिकारी के राजकीय दौरे पर होने से पत्रावली आगामी दिनांक 20.09.2017 नियत की गई।

दिनांक 20.09.2017 को अपीलार्थी उपस्थित नहीं एवं प्रत्यर्थी के प्रतिनिधि ने उपस्थित होकर जवाब प्रतिवेदन पत्रांक 1124–25 दिनांक 11.09.2017 प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलार्थी को सूचना हमदस्त दिनांक 12.09.2017 को उपलब्ध करा दी । अपीलान्ट के द्वारा सूचना दिनांक 12.09.2017 को प्राप्त की जिसके हस्ताक्षर है तथा सुनवाई हेतु भी दिनांक 12.09.2017 नियत है फिर भी अपीलान्ट सूचना प्राप्ति के पश्चात न तो स्वयं उपस्थित हुआ न ही खण्डन में कोई प्रार्थना पत्र ही प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि अपील खारिज फरमाई जावे।

हमने प्रत्यर्थी को सुना तथा पत्रावली में प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया उपरोक्त विवेचन के अनुसार वांछित सूचना अपीलार्थी को प्रत्यर्थी के द्वारा निःशुल्क उपलब्ध करादी गई है तथा स्वयं अपीलान्ट के द्वारा भी बावजूद सूचना के न तो उपस्थित हुआ न ही सूचना के सम्बन्ध में किसी प्रकार का

जिला कलक्टर
भीलवाड़ा

खण्डन प्रस्तुत किया है। इससे यह प्रतीत होता है कि अपीलार्थी प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत की गई सूचना से सन्तुष्ट है। अतः अपीलार्थी की अपील सारहीन एवं बलहीन होने से खारिज की जाती है।

आदेश आज दिनांक 20/09/2017 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(मुक्तानंद अग्रवाल)
जिला कलक्टर एवं
प्रथम अपीलेट अधिकारी
भीलवाड़ा

जिला कलक्टर भीलवाड़ा राजस्थान